निर्णय किया है कि ट्रक ड्राइवर्स के केबिन में एअर कंडिशनर मेंडेटरी रहेगा ही, क्योंकि वह 12-12 घंटे गाड़ी चलाता है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, चूंकि केबिन का टेम्परेचर 47 डिग्री तक चला जाता है। इसीलिए हमने कहा है कि ट्रक ड्राइवर्स के केबिन को एअरकंडिशंड केबिन में कन्वर्ट किया जाना मेंडेटरी होगा।

श्री भूपिंदर सिंहः सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज इतने अधिक एक्सिडेंट्स हो रहे हैं और जब आप नेशनल हाईवेज़ को फोर-लेन का बनाने जा रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट लेन के लिए यह रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि वहां केवल 100 से ऊपर की स्पीड पर चलने वाले लाइट व्हीकल्स को ही चलने की परमिशन होगी। First lane should be a free lane. वहां कोई भी बड़े ट्रॉलर या बड़े ट्रक न चलें।

जो स्लो मूवमेंट वाले व्हीकल्स हैं, जैसे 24 चक्के की लम्बी-लम्बी गाड़ियां हैं, वे फर्स्ट लेन में ही चलती हैं। उनको बन्द करने के लिए, हमारा सिस्टम ऐसा बने ताकि वे फोर्थ लेन में ही चलें। इसके साथ ही साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप मोटरबाइक या टू-व्हीलर्स के लिए रोड की साइड में डेढ़ मीटर या चार फीट की एक स्पेसिफिक लेन बनाने के बारे में सोच रहे हैं? टाउन या सिटीज़ के अन्दर जब आप डीपीआर बनाते हैं, तो वहां पर आप अंडरवे नहीं बनाते हैं। बाद में जब एक्सिडेंट्स हो जाते हैं या धरने दिए जाते हैं, उसके बाद इसके बारे में सोचा जाता है।

श्री नितिन जयराम गडकरीः सर, यह बात बिल्कुल सही है कि फर्स्ट लेन फास्ट व्हीकल्स के लिए ही होती है। ट्रॉलर और ट्रक्स के लिए फर्स्ट लेन नहीं होती है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की बात जो कही गयी है, उनके पालन को लेकर हमारे देश में बहुत अधिक उदासीनता है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वह बिल्कुल सही है। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम नेशनल हाईवेज़ पर वीडियो कैमराज़ लगाने जा रहे हैं। अगर कोई भी ट्रक वाला गलती से भी उस लेन में चला जाएगा ...**(व्यवधान)**... सर, वह सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। अगर किसी भी ट्रक वाले की इमेज उस कैमरे में कैच होती है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

दूसरी बात जो आपने कही, बड़े शहरों से नेशनल हाईवेज़ गुज़र रहे हैं, वहां पर रोड की बाजू में साइकिल वालों के लिए व्यवस्था की जा रही है। वैसे स्कूटर ट्रैक के लिए भी सड़क की बाजू में ही एक सफेद पट्टी डाल कर व्यवस्था किए जाने की बात पर हम जरूर विचार करेंगे।

Coal distribution policy

*172.SHRI AVINASH PANDE: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether in view of re-allocation of coal blocks, Government is planning to

review and revise the Coal Distribution Policy for ensuring supply of coal to small and medium industrial units;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI PIYUSH GOYAL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) No, Sir.The medium and small scale industries whose requirement is less than 4200 tonnes per annum are required to take coal through agencies nominated by State Governments. Under the New Coal Distribution Policy (NCDP), 2007, the scope of coverage through State Nominated Agencies was increased from 500 tonnes per annum to 4200 tonnes per annum. An aggregate of eight million tonnes of coal is earmarked per annum for distribution to medium and small scale industries. The earmarked quantity of eight million tonnes is divided amongst various States/UTs depending on past trends.

At present there is no proposal to review and revise the New Coal Distribution Policy, 2007 for supply of coal to small amd medium industrial units.

श्री अविनाश पांडेः सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आपने जो लिखा है, "An aggregate of eight million tonnes of coal is earmarked per annum for distribution to medium and small scale industries." आपने 2007 में New Coal Distribution Policy में जो रिवीज़न किया, उसके तहत ऐसी यूनिट्स, जिनकी रिक्वायरमेंट 4,200 टन से कम की है, उनके लिए Special State agencies के माध्यम से आप कोल का वितरण करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट वाइज़ इसके लिए कौन-कौन सी एजेंसीज़ एपॉइंट की गई हैं? विशेष रूप से मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लिए आपने कौन सी एजेंसी एलॉट की है और उसके माध्यम से पिछले तीन वर्षों में कितने यूनिट्स कोयले का आबंटन हुआ है?

श्री पीयूष गोयलः सर, अलग-अलग स्टेट्स के लिए अलग-अलग एजेंसीज़ हैं। चाहे वे National Companies हों या State Companies हों, लेकिन उनको स्टेट गवर्नमेंट ही एपॉइंट करती है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जब हम पिछले तीन वर्षों का आंकड़ा देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कम होता जा रहा है। 2013-14 में 17 राज्यों ने State agency को nominate किया, लेकिन सिर्फ 14 राज्यों ने FSA साइन किया और उनमें से भी सिर्फ 53 प्रतिशत Fuel Supply Agreement से लिया गया। 2014-15 में 14 राज्यों ने State agency appoint की, लेकिन सिर्फ 12 राज्यों ने Fuel Supply Agreement साइन किया और सिर्फ 51 प्रतिशत कोयला उठाया। इस वर्ष 18 राज्यों ने State agency appoint की है, लेकिन सिर्फ 8 राज्यों ने ही Fuel Supply Agreement पर साइन किया है।

हम यह देख रहे हैं कि इस विंडो से यह गिरते-गिरते 8 मिलियन टन के सामने, 2 मिलियन टन से भी कम जा रहा है। इसलिए हमने इस पर इस वर्ष कंज्यूमर आर्गेनाइजेशन से, राज्य सरकारों से पूरी चर्चा की है और सबसे बातचीत के बाद एक नया प्रोपोजल हम जल्द ही देश के समक्ष रखने वाले हैं, जिसमें स्टेट एजेंसीज़ की पूरी जानकारियां एक वेब पोर्टल पर रहेंगी। जो कंज्यूमर्स हैं, वे सब वेब पोर्टल पर अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट पेश कर सकते हैं और सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से अपना कोयला उनको नोमिनेटिड प्राइस प्लस फ्रेट प्लस 5 परसेंट सर्विस चार्ज पर मिल जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और स्टेट नोडल एजेंसीज़ जो कई बार कोयले का वितरण ठीक से नहीं करती हैं, उस पर भी पाबंदी लगेगी। पूरे तरीके से जानकारियां पब्लिक डोमेन में होने से कोई गलत कार्रवाई पर भी अंकुश आएगा।

जहां तक महाराष्ट में उन्होंने किस एजेंसी को नियुक्त किया है, इस बात का प्रश्न है, तो वह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, वह मैं आपको भिजवा दूंगा।

श्री अविनाश पांडेः सर, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि जो लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनको फ्यूल की सप्लाई under the FSA या जो भी फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट होता है, उसके तहत किया गया है। लेकन मेरी जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों से महाराष्ट्र के स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को कोयले का आबंटन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तक वहां की राज्य सरकार ने कोई एजेंसी आइडेंटिफाई नहीं की है और अगर की भी है, तो उसकी जानकारी अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। इसके लिए क्या शीघ्र ही कोई उपाय आपने नियोजित किया है, जिसके माध्यम से कम से कम इन इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर सप्लाई मिल सके?

श्री पीयूष गोयलः आपने एकदम सही बात कही। वही मैंने पहले भी उत्तर में बताया है कि पिछले तीन वर्षों से, rather 2006-07 से ही अगर आप देखें, तो यह सिलसिला कम होता जा रहा है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीज़र डॉक्यूमेंटेशन था, तो लोगों को पर्याप्त कोयला समय पर नहीं मिलता था। इसीलिए, जैसा मैंने बताया कि ease of business को सपोर्ट करने के लिए State Notified Agencies, State Nominated Agencies से जो FSA किया जाता है, उसमें हमने पाँच प्रमुख रूप से संशोधन किए हैं। एक तो जो टेन्योर पहले 1 वर्ष का था, उसको अब 2 वर्ष तक करने का प्रावधान हम लाये हैं। दूसरा, पहले जो प्रावधान था कि जो क्वांटिटी किसी को अलॉट होती थी, तो वह सिर्फ तीन महीनों में यानी एक क्वार्टर के अन्दर उठानी पड़ेगी, उसको अभी न रखते हुए हमने पूरे कंट्रैक्ट पीरियड में वे कभी भी उठाएं, इसको अलाऊ कर दिया है। तीसरा, जो पहले एक प्रावधान deemed delivery का था कि समय पर कोयला पहुंचाने में अगर रेलवे में फेल्योर हो गया, तो ये लोग उसको deemed delivery कह कर उसके अलॉटमेंट को adjust कर देते थे, वह प्रावधान deemed delivery भी निकाल दिया है। Clause of lifting में कम से कम 30 प्रतिशत उठाना ही पड़ेगा, वह क्लॉज़ रद्द कर दिया है और make up quantity, तो जरूरी था कि अगर कुछ कमी रह गयी है, तो

अगले महीने में मेक अप करो, उसको भी tenure of the conract से जोड़ कर काफी ease of business को support किया गया है — इसी के साथ जब पारदर्शिता से इसको web portal पर डाला जाएगा, तो छोटे उद्यमियों को तथा छोटे उद्योगों को इससे बहुत सहायता होगी।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, the enactment of Coal Mines Nationalisation (Special Provisions) Act has empowered the Government with bigger right of re-allocation of the coal block. I would like to know as to how many coal blocks have been allocated to the agencies other than Coal India; and out of that, how many have been allocated to State Government dictated agencies; how many have been allocated to the public sector; and how many have been allocated to the private sector; what is their respective production performance.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, the question is not related to the original question, at all. But I can elaborate on it.

MR. CHAIRMAN: No, let us not do it. Now, Shri Anil Desai.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, he can send a written reply.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I will write to him.

MR. CHAIRMAN: He will send you the answer, Tapanda.

SHRI ANIL DESAI: Sir, thank you. The hon. Minister has given an elaborate answer. I would like to understand, through you, Sir, from the Minister about main reasons for that and the remedies, of course. Despite the State nodal agencies in place, the consumption of coal quantities are allocated from 8 MT—and it is supposed to be within that range—why has it gone to below 2 MT? That is what he has stated. Could I know what are the reasons and what are the remedies for that?

SHRI PIYUSH GOYAL: Chairman, Sir, the main reasons as to why this has happened — as we assessed it and talked to consumer organisations and the State Governments — we realised that the sensitivity that should have been there for the small consumers was not there, and very elaborate paper work was required. We are now making it much easier in the new portal.

MR. CHAIRMAN: Thank you. I am afraid the Question Hour is over. The House is adjourned till 2.00 P.M.

———